nM çfØ;k lfgrk dh /kkjk 436 d vrxr tekur vkonu dk ueuk

.....न्यायालय

अपराध मामला संख्या.....वर्ष.....

राज्य बनाम.....(अभियुक्त का नाम)

अपराध संख्या.....अपराध अंतर्गत धारा.....

पुलिस थाना.....

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहाई के लिए आवेदन

आवेदक सविनय निवेदन करता है

1. यह कि उसे कथित अपराध के लिए.....तारीख को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किया गया था।
2. यह कि कथित अपराध ज़मानतीय है।
3. यह कि ज़मानत आवेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष..... को पेश किया गया था और आवेदक को.....की प्रतिभू प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।
4. यह कि वह एक निर्धन व्यक्ति है और वह प्रतिभू राशि नहीं दे सकता है।
5. यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के उपबंधों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ़्तारी की तारीख से एक सप्ताह के अंदर ज़मानत देने में असमर्थ है तो उसे निर्धन समझा जाना चाहिए ओर उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए प्रतिभुओं रहित बध पत्र निश्पादित करने पर रिहा किया जाना चाहिए।

çkFkuk

उपरोक्त के मद्देनज़र सविनय निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय कृपया आवेदक को व्यक्तिगत बंध पत्र पर ऐसे शर्तों पर रिहा करें जो माननीय न्यायालय न्याय के हित में उपयुक्त और उचित समझे।

स्थान:
दिनांक:

आवेदक ज़रिए
अधिवक्ता/अधीक्षक
.....कारागार

;fn vkid¨ vuko';d fu:) fd;k x;k g r¨ vki viu odhy l rRdky ijke'k djA

lh.,p.vkj.vkÃ. d ckj e tkudkjh

dkeuoYFk º;eu jkbVl bfuf“k,fVo ¼lh.,p.vkj.vkÃ.½ एक अंतर्रा"ट्रीय, स्वतंत्र, गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य इस बात को बढ़ावा देना है कि रा"ट्रमंडल देशों में मानवाधिकार को व्यवहारिक रूप से हासिल किया जाए। एक व्यापक मानव अधिकार समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत सीएचआरआई सूचना तक पहुँच और न्याय तक पहुँच का भी समर्थन करती है।

जेल सुधार:

जेल जैसे परंपरागत रूप से बंद व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए तथा इस में हो रहे अनाचारों का पर्दाफाश करने के लिए सी.एच्.आर.आई. कार्यरत है। विधिक व्यवस्था के विफलता के फलस्वरूप जेलों में हो रही अतिभीड, लम्बे समय तक विचारण–पूर्व कारावास एवं सज़ा पूर्ण होने पर भी दंड़ितों के रिहा न होने जैसे समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान के लिए हस्तक्षेप करना सी.एच्.आर.आई. का मुख्य उद्देश्य है। असफल हो चुके जेल निरीक्षण व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना हमारा एक अन्य उद्देश्य है। हमारा विश्वास है कि इन मुद्दों पर ध्यान देने से जेल प्रशासन में सुधार आ सकता है तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के निष्पादन पर भी श्रृंखलावार प्रभाव पड़ सकता है।

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, प्रथम तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–110017, भारत
टेलीफोन +91–(0)11–43180200,फैक्स +91–(0)11–26864688
info@humanrightsinitiative.org
www.humanrightsinitiative.org

कृत: मधुरिमा, जेल सुधार कार्यक्रम, सी. एच. आर. आई.

अनुवादिका: भालिनी भूशण

/kkjk 436@436-v n.ç.l. d vrxr tekur ij fjgk fd, tku lc/kh vf/kdkj

D;k vki fopkjk/khu dnh g\

viu vf/kdkj¨ d¨ tkus

vki ,d fopkjk/khu dSnh gSa ;fn vkidks%

- आपके मामले की जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध किया गया है, या
- ज़मानत नहीं दिया गया है और आप अभी भी जेल में हैं, या
- ज़मानत दिया गया है लेकिन आप प्रतिभू (स्योरिटी)/ज़मानत पत्र देने में सक्षम नहीं हैं।

vkidks tekur@O;fDrxr c/k i= ij fjgk fd, tkus dk vf/kdkj gS

¼d½ naM izfØ;k lafgrk dh /kkjk 436 ds vUrxZr ;fn%&

- आप किसी ज़मानतीय अपराध के अभियुक्त/आरोपी हैं,
- आपको ज़मानत दिया गया है परन्तु आप प्रतिभू (स्योरिटी) नहीं दे सकते, और
- अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 7 दिनों से ज्यादा हिरासत में हैं।

mnkgj.k% आप भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को नुकसान पंहुचाने के अभियुक्त हैं। आपको 1 अप्रैल, 2009 को गिरफ्तार किया गया था और आप ज़मानत देने में सक्षम नहीं हैं। आपको बिना प्रतिभू (स्योरिटी) के ज़मानत/व्यक्तिगत बंध पत्र पर 8 अप्रैल, 2009 तक अवश्य रिहा कर दिया जाना चाहिए।

¼[k½ naM izfØ;k lafgrk dh /kkjk 436-v ds vUrxZr ;fn%

- आप मृत्युदंड दिए जाने जैसे किसी अपराध के अभियुक्त/आरोपी नहीं हैं।
- आपने उस अपराध जिसके अभियुक्त/आरोपी हैं, के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि पूरी कर ली है।

mnkgj.k% आप भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत चोरी करने के अभियुक्त/आरोपी हैं और कारावास में 3 वर्ष या उससे अधिक समय बिता चुके हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-अ के अंतर्गत ज़मानत/व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किया जाना आपका अधिकार है।

vkidks naM izfØ;k lafgrk dh /kkjk 436-v ds vUrxZr fjgk fd, tkus ij fopkj fd;k tk ldrk gS ;fn vki%&

- मृत्युदंड दिए जाने जैसे किसी अपराध के अभियुक्त/आरोपी नहीं हैं, और
- उस अपराध, जिसके आप अभियुक्त हैं के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की आधी अवधि पूरी कर ली है।

mnkgj.k% आप भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत डकैती डालने के आरोपी हैं और आप कारावास में 10 वर्ष या उससे अधिक वर्ष बिता चुके हैं। आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-अ के अंतर्गत ज़मानत के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

ukV% जहां अधिकतम निर्धारित दंड vkthou dkjkokl है भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार इसकी आधी अवधि 10 वर्ष की होगी।

lEcaf/kr U;k;ky; ykd vfHk;kstd dh rdZ dks lquus ds ckn %&

- प्रतिभू (स्योरिटी) सहित या प्रतिभू (स्योरिटी) रहित व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किए जाने का आदेश दे सकता है, या
- कारण दर्ज़ करने के बाद उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है, या
- कारण को लिखित रिकार्ड करने के बाद उस व्यक्ति की कैद को जारी रखने का आदेश दे सकता है।

ukV% fdlh Hkh iadkj fdlh O;fDr dks mlds vijk/k ds fy, fu/kkZfjr dkjkokl dh vf/kdre vof/k ls vf/kd vof/k rd dSn ugha j[kk tk ldrkA

- tekurh; vijk/k% दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची या संगत विधि के अंतर्गत ज़मानतीय दर्शाए गये अपराध। ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा किए जाने का अधिकार होता है।

- izfrHkw ¼L;ksfjVh½% किसी वचनबंध को पूरा करने का वचन या किसी अन्य व्यक्ति के ऋण/भूल–चूक को चूकाने का वचन।

- O;fDrxr c/k i=% एक औपचारिक लिखित समझौता जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति कतिपय कृत्य करने/न करने का वचन देता है। इसका अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड दिया जा सकता है।

vki /kkjk 436@436-v ds varxZr tekur ds fy, vkosnu dj ldrs gSa%&

- अपने वकील से सम्पर्क कर ज़मानत के लिए नया आवेदन देकर, या
- यदि आप एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं हैं तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निः ुल्क विधिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, या
- जेल अधीक्षक से सम्पर्क कर या महानिरीक्षक (कारागार) को पत्र लिखकर।

nMa izfØ;k lafgrk dh /kkjk 436-v ds varxZr tekur vkosnu dk uewuk

......................न्यायालय

आपराधिक मामला संख्या ....वर्ष ......

राज्य बनाम .... (अभियुक्त का नाम)

अपराध संख्या ....अपराध अंतर्गत धारा ....

पुलिस थाना ....

कारावास की आधी अवधि/अधिकतम अवधि पूरी होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के अंतर्गत ज़मानत दिए जाने के लिए आवेदन

आवेदक विनम्र निवेदन करता है:

1.यह कि उसे कथित अपराध के लिए पुलिस द्वारा .... को गिरफ़्तार किया गया था।

2. यह कि कथित रूप से किए गए अपराध के लिए अधिकतम निर्धारित दंड .... वर्ष है।

3. यह कि उसने विचाराधीन के रूप में .... 'वर्ष कारावास में बिताए हैं। यह अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित दंड का आधा/अधिकतम है।

4. यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-अ के उपबंधों के अनुसार उसे ज़मानत/व्यक्तिगत बंध पत्र संहित या रहित ज़मानत पर रिहा किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए/रिहा किया जाना चाहिए।

izkFkZuk

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनज़र सविनय निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय आवेदक को ऐसी शर्तों पर जो माननीय न्यायालय न्याय के हित में उपयुक्त और उचित समझे, ज़मानत/बंध पत्र पर कृपया रिहा करे।

स्थान: आवेदक ज़रिए

दिनांक: अधिवक्ता/अधीक्षक

...........कारागार